न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 32/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00095

अनवान्

1. श्री भंवरसिंह पिता रामसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी सालेराकलां तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जबरसिंह पिता झुझारसिंह राजपूत निवासी 135 सालेराकलां, साकरियाखेडी तहसील मावली।
2. श्री गणेश पिता कालु मेघवाल निवासी साकरिया खेडी, भीमल चारणान तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री मदन लाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 05.08.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां तहसील मावली के आराजी नम्बर 1297/1, 1298/1 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा भूमि में मुझ प्रार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मुझ प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य है तथा उक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग–उपभोग मैं प्रार्थी करता चला आ रहा हूं तथा विपक्षी संख्या 1, 2 बिना हक व अधिकार के मुझ प्रार्थी की आराजीयात को खुर्द बुर्द कर नीवे खोद कर नया निर्माण करने पर आमादा है। जिसका विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त वर्णित आराजीयात के विपक्षी संख्या 1 व 2 खातेदार भी नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 1 व 2 बिना किसी खातेदारी अधिकार से जबरन मुझ प्रार्थी की आराजीयात पर कब्जा कर मुझ प्रार्थी की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। जिसका उन्हे कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 के मन में बदनियति आ जाने से विपक्षी संख्या 1 व 2

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

नाजायज रूप से कब्जा करने की नियत से उक्त वर्णित आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त वर्णित आराजीयात से मुझ प्रार्थी को जबरन बेदखल करना चाहते है, जिसका विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई हक व अधिकार नहीं है विपक्षी संख्या 1 व 2 को इस आशय की निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 वाद वर्णित आराजीयात में जबरन नींव खोद कर पक्का निर्माण कार्य नहीं करने एवं दखलन्दाजी न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे व उक्त वर्णित आराजीयात पर किसी भी प्रकार से कब्जा करने की नियत से खुर्द बुर्द न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य के मार्फत करावे व उक्त वर्णित आराजीयात का मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे व इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावें।

3. यह कि मुझ प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित जमीन मुझ प्रार्थी के कब्जे अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं। दिनांक 25.03.2018 को विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त वर्णित आराजीयात में जबरन प्रवेश होकर मुझ प्रार्थी की स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजीयात में जबरन कब्जा करने की नियत से आये और मुझ प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की नियत से लडाई झगडा करने पर आमादा हो रहे है इसलिए मुझ प्रार्थी को विवश होकर यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। जिससे वाद कारण दिनांक 25.03.2018 को उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी की आराजीयात पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे, ना ही किसी वादी की आराजीयात में कोई पक्का निर्माण कार्य करे तथा न ही उक्त आराजीयात के वर्तमान स्वरूप में बदलाव करे तथा न ही वादी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करे तथा वादी को अपनी आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी तरह से व्यवधान पैदा नहीं करे एवं मौके की स्थिति बनाये रखें।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की होना पूर्णतया अस्वीकार है प्रार्थी ने अपने नाम पर गलत तरीके से भूमि दर्ज कराई है जबकि उक्त भूमि पूर्व खातेदार भूरा पिता चतरा वागरिया के खातेदारी में थी भूरा पिता चतरा वागरिया ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात की सम्पूर्ण भूमि को दिनांक 12.06.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

1990 को अपने पुत्र हीरा वागरिया के साथ 5000/– रूपये में विपक्षी संख्या 1 एवं श्री मामलसिंह पिता श्री नाहरसिंह राजपूत, भरतसिंह पिता इन्दरसिंह राजपूत निवासी साकरिया खेडी तीनों को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तथा विक्रय की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार भूरा पिता चतरा वागरिया ने 10/– रूपये के स्टाम्प पर बिकाव की लिखतम विपक्षी एवं उक्त मालमसिंह एवं भरतसिंह राजपूत के पक्ष में कर दी, पूर्व खातेदार भूरा पिता चतरा वागरिया का निधन हो जाने के बाद उक्त भूमि उनके वारिसान श्री रामलाल, मेघराज, हीरालाल, प्रेमलाल, अमरचन्द, श्रीमती कंकुबाई, प्रतापीबाई सभी जाति वागरिया निवासी सालेराकलां तहसील मावली के नाम पर विरासत से खातेदारी में दर्ज हो गई जबकि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी एवं उक्त मामलसिंह, भरतसिंह तीनों का दिनांक 12.06.1990 खरीद से कब्जा होकर आधिपत्यधारी है तथा उक्त भूमि में उक्त विपक्षी एवं खरीददार मालमसिंह एवं भरतसिंह तीनों ही काबिज होकर मौके पर भूमि पर पशु बांधने, कृषि औजार, घास, लकडी आदि रखने के लिए उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें प्रार्थी भंवरसिंह का कोई कब्जा व आधिपत्य नहीं है प्रार्थी ने उक्त पूर्व खातेदार भूरा वागरिया के वारिसान से गलत तरीके से नुमाईशी विक्रय पत्र उनके नाम पर करा लिया जिसकी जानकारी विपक्षी एवं मालमसिंह, भरतसिंह को होने पर उनके विरूद्व विपक्षी एवं उक्त मालमसिह एवं भरतसिंह द्वारा सिविल न्यायाधीश (क. ख.) मावली के न्यायालय में धारा 15 विनिर्दिष्ट अधिनियम एवं शाश्वत निषेधाज्ञा का कथित विक्रय एग्रीमेन्ट दिनांक 12.06.1990 की पालना बाबत् वाद प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार भूरा वागरिया के वारिसान के विरूद्व पेश किया गया साथ ही विपक्षी एवं मालमसिंह व भरतसिंह की ओर से एक स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी एवं रामलाल वागरिया व अन्य के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके मुकदमा नम्बर दिवानी 7/2008 अनवान मालमसिंह बनाम रामलाल व अन्य होकर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश मावली द्वारा प्रार्थी व विपक्षीगण को सुनकर दिनांक 05.09.2008 को निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार सिविल न्यायाधीश द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी. बहक प्रार्थीगण विरूद्व प्रतिवादीगण/विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात की भूमि पर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में ताफैसला मूल वाद किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं करे, प्रार्थीगण को आने जाने से नहीं रोके तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त मूल वाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन होकर साक्ष्य प्रतिवादी में है ऐसी स्थिति में प्रार्थी यह जानते हुए भी कि वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित एक वाद पत्र सिविल न्यायाधीश मावली के न्यायालय में विचाराधीन है इस तथ्य को छुपाते हुए कथित वादपत्र मय प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश करके न्यायालय में गलत तथ्य रखते हुए एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है इस तरह प्रार्थी का उक्त कृत्य न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होकर की श्रेणी में आता है इस तरह प्रार्थी माननीय न्यायालय में अपना पक्ष लेकर निट एवं क्लीन हेण्ड से नहीं आया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर किसी तरह से कोई कब्जा व आधिपत्य नहीं है इस तरह प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त हैं।

5. यह कि प्रार्थी ने जिस दस्तावेज के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाया है वो एक नुमाईशी विक्रय पत्र होकर विपक्षी के हको व अधिकारों के विरूद्व बेअसर होकर शून्य प्रभावी है चूंकि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार भूरा वागरिया ने विपक्षी एवं मालमसिंह व भरतसिंह को बिकाव कर मौके पर आधिपत्य सिपूर्द कर दिया था ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर काबिल निरस्त है। वादग्रस्त आराजी की भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा भी नहीं है इसके अलावा सिविल न्यायाधीश मावली द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में पूर्व में ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थी भंवरसिंह को पाबंद कर रखा है कि विपक्षी गब्बरसिंह, मालमसिंह व भरतसिंह के उपयोग उपभोग में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसी स्थिति में जहां सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निषेधाज्ञा जारी कर रखी है तथा पक्षकारान के मध्य सिविल अधिकार तय किये जाने है तथा दोनों प्रकरणों में एक ही वादग्रस्त सम्पति है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र चलने योग्य नहीं होते है ऐसी स्थिति में विधिक तौर से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 काबिल निरस्त है, इस तरह प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर किसी तरह का कोई आधिपत्य नहीं है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है और ना ही अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होने वाली है इन तीनों बिन्दूओं पर सिविल न्यायाधीश मावली द्वारा प्रकरण संख्या 7/2008 मु.फो. में प्रार्थी के विरूद्व तय किये जा चुके है यदि प्रार्थी को सिविल न्यायाधीश के उक्त आदेश से असंतुष्टी थी तो उसकी अपील का अधिकार प्रार्थी के पास था इस तरह प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र निरस्तीय है। इस प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 को गलत पक्षकार बनाया गया है जबकि विपक्षी संख्या 2 का कोई लेना देना नहीं है इसके अलावा इस प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार भूरा वागरिया से श्री मालमसिंह राजपूत,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

भरतसिंह राजपूत व जब्बरसिंह राजपूत तीनों ने मिलकर वादग्रस्त भूमि दिनांक 12.06. 1990 को क्रय की थी तथा मौके पर आधिपत्य भी उक्त तीनों व्यक्तियों का खरीद से होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है उक्त तीनों व्यक्तियों की ओर से कथित सिविल वाद सिविल न्यायाधीश मावली में प्रस्तुत कर रखा हैं। जिसके सिविल वाद संख्या /2008 ई. दी. हैं। इसलिए इस प्रकरण में भी प्रार्थी को मालमसिंह व भरतसिंह व जब्बरसिंह तीनों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए कथित वादपत्र पक्षकारान के असंयोजन के कारण भी चलने योग्य नहीं हैं।

6. यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत् एक वाद सिविल न्यायाधीश मावली के न्यायालय में पूर्व से ही विचाराधीन है ऐसी स्थिति में कथित वादपत्र व प्रार्थना पत्र सिविल वाद के मूल निस्तारण तक इस वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का मय अनुतोष व विशेष हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।
7. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण जबरन वादग्रस्त भूमि में नीवें खोद कर नया निर्माण करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है यदि विपक्षीगण प्रार्थी के हक हिस्से में जबरन नीवें खोद नया निर्माण कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है। यदि विपक्षीगण मौके पर नया निर्माण कर मौके की स्थिति परिवर्तित कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द कर नया निर्माण कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 267 पर दर्ज आराजी नम्बर 1297/1, 1298/1 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार नहीं हैं। विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द एवं नया निर्माण करने पर आमादा होने से प्रार्थी, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में भूरा पिता चतरा वागरिया के नाम पर दर्ज थी जिसे दिनांक 12.06.1990 को 5000/– रूपये में विपक्षी संख्या 1 एवं श्री मालमसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत, भरतसिंह पिता इन्दरसिंह राजपूत निवासी साकरिया खेडी तीनों को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तथा विक्रय की पुष्टि में वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार भूरा पिता चतरा वागरिया ने 10/– रूपये के स्टाम्प पर बिकाव की लिखतम विपक्षी एवं उक्त मामलसिंह एवं भरतसिंह राजपूत के पक्ष में कर दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए प्रार्थी, विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

प्रकरण एवं दस्तावेज के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् माननीय सिविल न्यायालय (क.ख.) मावली के प्रकरण संख्या 07/08 निर्णय दिनांक 05.09.2008 से प्रार्थी के विरूद्व के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है परन्तु उक्त स्थगन की आड में विपक्षीगण मौके पर नया निर्माण एवं मौका परिवर्तन करने पर आमादा हैं। विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को दिनांक 12.06.1990 को 10/– रूपये के स्टाम्प पर क्रय करना बताया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के विरूद्व किसी प्रकार का काउन्टर प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया। वर्तमान में प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार होने से यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण मौके पर नया निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। प्रकरण में दिनांक 27.03.2018 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 267 पर दर्ज आराजी नम्बर 1297/1, 1298/1 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:29 IST
Reason: SelfAttested